# न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ. (राज.)

पीठासीन अधिकारी
I.A.S.

अनुपमा जोरवाल

जिला कलक्टर,

प्रतापगढ़

| प्रकरण संख्या | GCMS.No. | दर्ज दिनांक | फैसल दिनांक |
|---|---|---|---|
| 03/2018 | 2018/00047 | 23.06.2018 | 26.03.2021 |

1. श्री गणपत लाल पुत्र श्री गौतम चमार वगेराह निवासी नागदेडा, तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़
2. श्री योगेन्द्र सिंह पिता मोहन सिंह राजपुत निवासी नागदेडा तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़

:– प्रार्थीगण

–: बनाम :–

1. श्री वरदीचन्द्र पुत्र श्री गंगाराम तेली निवासी नागदेडा, तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़
2. श्री तहसीलदार, अरनोद

:– विपक्षीगण

आवेदन अन्तर्गत नियम 13 राजस्थान भू–राजस्व (सिंचाई परियोजनार्थ कुआं खोदने तथा पम्पींग सेट लगाने के लिये भूमि का नियमन)

उपस्थिति :–

1. श्री बाबुलाल जैन अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री अशोक कुमार राठौर अधिवक्ता अप्रार्थी

–: आदेश :– दिनांक 26.03.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 13 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कुऑ आवंटन/नियमन) नियम 1989 के तहत) विरूद्ध आदेश प्रकरण संख्या 27/2006 दिनांक 06.09.2006 द्वारा उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ़ अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी द्वारा राजस्व ग्राम नागदेडा ग्राम पंचायत एवं पटवार हल्का बेडमा तहसील अरनोद कि किस्म चरागाह भूमि आराजी संख्या 668 रकबा 2.03 है. में से 0.02 है. भूमि पर सिंचाई प्रयोजनार्थ कुआं खोदते हुए उक्त कुएं का आवंटन नियमन अपने पक्ष में करा लिया।

जबकि उक्त कुए के पास के पास विपक्षी संख्या 1 की कोई खातेदारी भूमि स्थित नहीं होकर उक्त कुए का उपयोग–उपभोग आवंटी उक्त कुए की पास की आराजी संख्या 668/1232 रकबा 0.50 है. आबादी भूमि में विपक्षी संख्या 1 के आवासीय भूखण्डों पट्टा कमांक 20/2007 एवं 21/2007 क्षैफल 50 x 60 3000 वर्गफीट एवं 50 x 60 = 3000 वर्गफीट अन्तर्गत आवासीय पट्टों की भूमि पर अवैधानिक ईंट भट्टों के संचालन हेतु किया जा रहा है।

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)



Scanned with CamScanner

प्रश्नगत आवंटीत/नियमित कुआं के द्वारा कृषि भूमि सिंचाई कार्य के विपरीत विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपनी आवासीय भूमि (भूखण्डों) पर संचालित ईंट भट्टों की वजह से ग्राम की आबादी में वायु प्रदुषण तथा पास ही स्थित नाले की भूमि आराजी संख्या 669 रकबा 2.07 में ईंट भट्टों से निष्कासित अपशिष्ट कुडा करकट भी नाले में डाल कर जल प्रवाह क्षैत्र को बाधित किया जा रहा है जिससे आस–पास के खेतों में नाले का पानी बहने से विभिन्न काश्तकारों की फसले भी खराब होती है।

इस संबंध में प्रार्थीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी महोदय अरनोद के समक्ष भी शिकायत दिनांक 06.06.2017 को प्रस्तुत की गई जिसके संबंध में उपखण्ड अधिकारी, अरनोद कार्यालय के पत्र कमांक 1774 दिनांक 06.06.2017 एवं तहसीलदार अरनोद के पत्र कमांक 274 दिनांक 06.06.2017 की पालना में पटवार हल्का द्वारा प्रस्तुत पर्चा मौका विवादित भूमियां आराजी संख्या 668/1249 रकबा 0.02 आराजी संख्या 668/1232 रकबा 0.50 है. तथा नाला भूमि आराजी संख्या 669 रकबा 2.07 है. के संबंध में प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार मौके पर ईंट भट्टों का संचालन एवं ईंट भट्टा के संचालन हेतु वांछित जल स्त्रोत के रूप में उक्त विवादित कुए का उपयोग किया जाना तथा बरसाती नाला भूमि 669 में ईंट भट्टों के अपशिष्ट नाले में डाला जाना भी दर्शित रिकार्ड पाया है।

अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी कुआं नियमन आदेश अपास्त फरमावें। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किए गए जिनकी बाद तामिल रिपोर्ट अप्रार्थी/विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार राठौर उपस्थित हो जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 19.06.2019 को रिकार्ड पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली है।

पत्रावली में बहस अन्तिम उभयपक्ष दिनांक 19.02.2021 को सुनी गई दौराने बहस उपस्थित अधिवक्ता श्री बाबुलाल जैन प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मेमों में वर्णित कथनों एवं पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट दिनांक 07.06.2017 के अनुसार मुख्य रूप से कथन किये गये कि विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी कुआ नियमन आदेश कमांक भू.आ./06/27 दिनांक 06.09.2006 से आवंटित चाह भूमि आराजी संख्या 668/1249 रकबा 0.02 है. का आवंटन अवैध है, क्योंकि प्रचलित विधियों अनुसार राजकीय भूमियों पर किसी व्यक्ति–विशेष को कुंआ आवंटन नियमन हेतु प्रथमतः उक्त आवंटित भूमि के निकट निजी खातेदारी सिंचित भूमि होना अनिवार्य है तथा 1979 नियमों के तहत आवंटीत कुए का उपयोग–उपभोग सिंचाई एवं पेयजल प्रयोजनार्थ ही किया जा सकता है। जबकि आवंटी द्वारा उक्त कुएं का उपयोग सिंचाई कार्य के बजाय अपने ईंट भट्टों के व्यवसायिक उपयोग में किया जा रहा है। अतः विवादित कुआं नियमन/आवंटन आदेश अपास्त फरमाया जावे।

इसी प्रकम में उपस्थित अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मेमों दिनांक 07.12.2017 में वर्णित कथनों का खण्डन करते हुए तथा प्रस्तुत जवाब मेमों दिनांक 09.06.2019 में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 (श्री वरदीचन्द्र पुत्र गंगाराम तेली एवं उनकी पत्नी श्रीमती राधा बाई पत्नी वरदीचन्द्र तेली ) के नाम राजस्व ग्राम नागदेडा की खाता संख्या 410 में वर्णित आराजी संख्या 1209/743 रकबा 1.27 है. तथा आराजी संख्या 1114/747 रकबा 1.05 है. कुल किता 2 रकबा 1.32 है. एवं संयुक्त संख्या 223 में दर्ज आराजी संख्या 748, 750, 751 एवं 753 किता 4 कुल रकबा 4.13 है. में से 3/5 हक हिस्सा दर्ज है तथा विपक्षी की पत्नी के नाम ग्राम के खाता संख्या 32 अन्तर्गत दर्ज आराजी संख्या 681, 682, 683 किता 3 रकबा 2.05 है. में



जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

से 1/2 हिस्सा दर्ज है उक्त भूमियों के सिंचाई प्रयोजन हेतु विपक्षी द्वारा लगभग 10–15 लाख रूपयों की लागत से उक्त कुए का निर्माण किया जाकर विधिवत नियमन आदेश दिनांक 06.09.2006 सह शुल्क वार्षिक लीज रेन्ट राशि पर प्राप्त किया है तथा आवंटन/नियमन शर्तों की विधिवत् पालना भी की जा रही है किन्तु ग्राम के कुछ विरोधी द्वैषता रखने वाले व्यक्तियो द्वारा विपक्षी संख्या 1 से अनैतिक लाभ प्राप्त करने की नियत से विभिन्न प्राधिकारियों के समक्ष शिकायतें प्रस्तुत की जा रही है जबकि कुआ नियमन वर्ष 2006 में हुआ है फिर प्रार्थीगण आवेदकों द्वारा वर्ष 2017 से लगायत वर्तमान तक विपक्षी संख्या 1 को अन्यथा परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो स्वतः निरस्त योग्य है। साथ ही विपक्षी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दस्तावेज एवं मौका फोटोग्राफ भी प्रस्तुत किए गए।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया । पत्रावली का गहन अवलोकन एवं अध्ययन किया गया जिसमें मुख्य रूप से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मेमों दिनांक 07.12.2017, जवाब विपक्षी संख्या 1 दिनांक 09.06.2017 नकल नामान्तरकरण संख्या 612 दिनांक 05.06.2007, नकल जमाबंदी संवत् 2068–71 खसरा संख्या 668/1249 रकबा 0.02 है., आवंटन आदेश कुआ नियमन दिनांक 06.09.2006, नकल जमाबंदी खाता संख्या 410, 32, 223, नकल जमाबंदी आराजी संख्या 668, 668/1232, 669 तथा ऑन लाईन राजस्व रिकार्ड DILRMP (E-Dharti, अपना खाता, भू–नक्शा) Web Portal के मार्फत विवादित कुआ नियमन भूमि 668/1249 से लगी हुई समस्त भूमियों तथा विपक्षी के खाते में दर्ज भूमियों की स्थिति का आंकलन करते हुए प्रकरण में प्रस्तावित कुआ आवंटन/नियमन 1979 में विहित प्रावधानों तथा प्रकरण में संलग्न शिकायत पत्र दिनांक 06.06.2017 एवं जांच रिपोर्ट दिनांक 07.06.2017 का भी गहन अवलोकन अध्ययन किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन की रोशनी में ज्ञात आया कि प्रकरण में विवादित कुआ नियमन आदेश दिनांक 06.09.2006 से कुआ हेतु प्रस्तावित नियमित भूमि ग्राम आराजी संख्या 668 रकबा 2.03 है. किस्म चरागाह में से 0.02 है. भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 612 दिनांक 05.06.2007 से विपक्षी विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं समस्त दस्तावेजी कथनों से जाहीर होता है कि आराजी संख्या 668/1240 रकबा 0.02 है. भूमि किस्म कुआ विपक्षी के नाम लीज हॉल्ड बेसिस पर दर्ज है तथा मौके पर कुआ निर्मित होना भी दर्शित रिकार्ड है, किन्तु उक्त कुऑ नियमन की भूमि के निकट विपक्षी संख्या –v के आवासीय भूखण्ड पट्टा कमांक 20/2007 एवं 21/2007 किस्म आबादी भूमि आराजी संख्या 668/1232 रकबा 0.50 तथा अवशेष चरनोट रकबा 668 के साथ लगे हुए नाले की भूमि आराजी संख्या 669 रकबा 2.07 दक्षिण की ओर समानान्तर क्रम में स्थित है । परन्तु आवंटी/विपक्षी एवं उसके पारिवारिक संयुक्त खातों में दर्ज भूमियां आराजी संख्या 681, 682, 683 एवं 743/1209, 747/1114, 778,750,751 व 753 आवंटित/नियमित कुआ भूमि 668/1249 रकबा 0.02 के चतुर्थ सीमा में कहीं उपलब्ध नहीं है। अर्थात् आराजी संख्या 668/1249 रकबा 0.02 है. मूल आराजी संख्या 668 रकबा 2.03 है. किस्म चरागाह का ही भाग है जिसके वर्तमान राजस्व रिकार्ड एवं ऑनलाईन सुविधा राजस्व रिकार्ड DILRMP (ई–धरती, अपना खाता, भू–नक्शा) सभी के माध्यम से उक्त आवंटित कुए की भूमि के चतुर्थ सीमाओं का संज्ञान लिए जाने पर उक्त भूमि के उत्तर एवं पूर्व–पश्चिम तक आराजी संख्या 668 ही है उक्त आराजी के पूर्व में बाद आराजी रकबा आराजी संख्या 661, 662 एवं 666 तथा 669 का अवस्थित है तथा पश्चिम की ओर आराजी संख्या 1127/668, 669, 1194/670 स्थित है तथा

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)



Scanned with CamScanner

सम्पूर्ण दक्षिण भाग के समानान्तर आराजी संख्या 669 नाला तथा उसके पश्चात् आराजी संख्या 697, 700 तथा 701 स्थित है जिसकी ताईद ऑन लाईन रिकार्ड नक्शा से स्पष्ट दर्शित होती है।




जिला कलक्टर प्रतापगढ़
जिला कलक्टर प्रतापगढ़




जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scale 1:4000

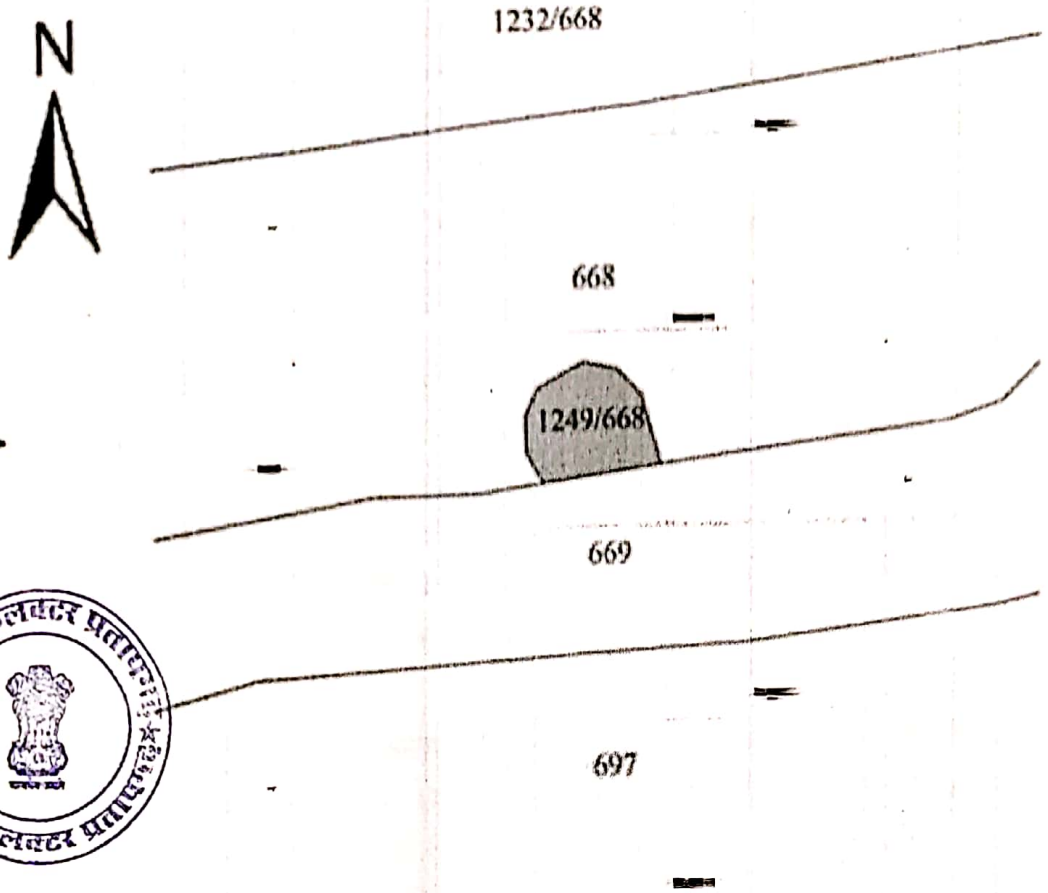

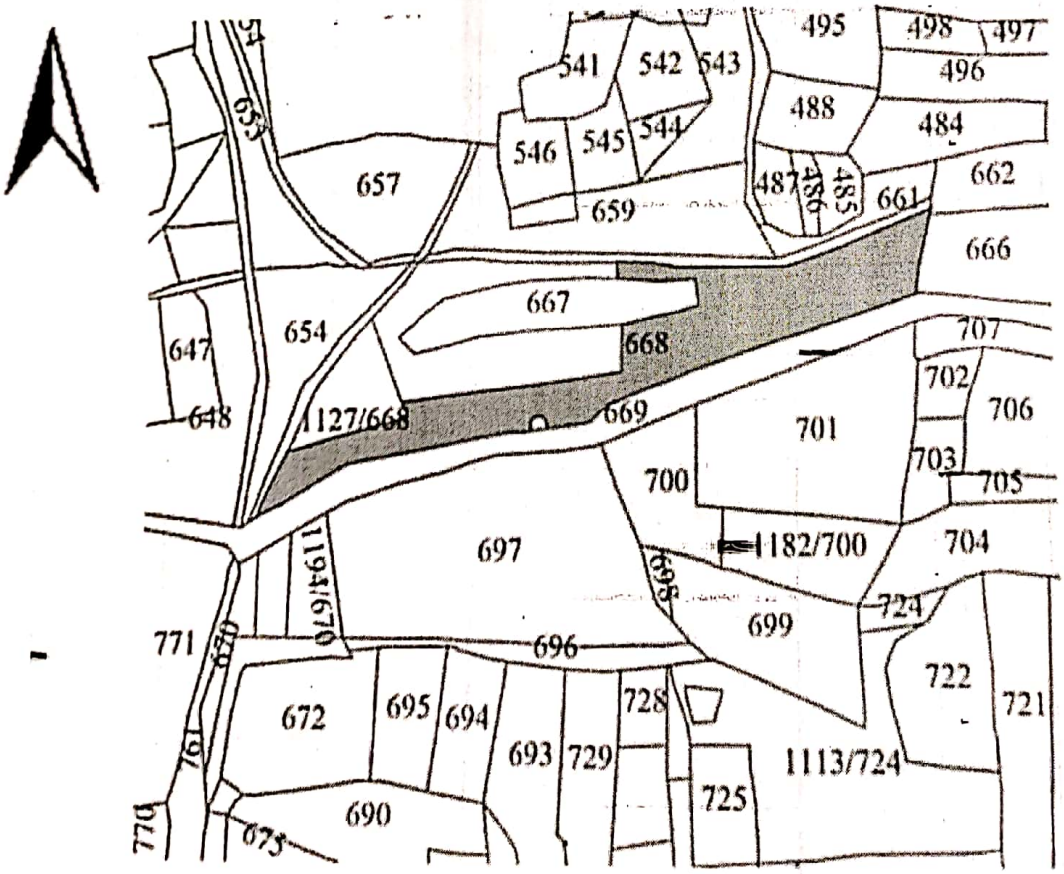

362

संख्या :668 क्षेत्रफल : 1.3100 Hectare खाता संख्या : 490पुराना खाता संख्या :440

Scanned with CamScanner

साथ ही दर्शित रिकार्ड पाया कि कुआॅ नियमन की भूमि आराजी संख्या 668/1249 के उत्तर दिशा में किस्म चरागाह भूमि 668 की सीमा के बाद आबादी भूमि 668/1232 दर्ज रिकार्ड हो उक्त भूमि में विपक्षी संख्या 1 के आवासीय भूखण्ड संख्या 20/2007 एवं 21/2007 तक कुए के पानी का उपयोग आसानी से किया जा सकता है जिस पर आवंटी/विपक्षी संख्या 1 ईंट भट्टों का संचालन करता है साथ ही विवाहित कुआ आवंटन हेतु प्रचलित आवंटन नियम 1979 के उप नियम 5 के अनुसार किसी भी कुआ नियमन हेतु भूमि का सीमांकन संबंधित जिला कलक्टर द्वारा समय–समय पर आरक्षित की जाती है ।

किन्तु प्रकरण में ऐसा कोई साक्ष्य उल्लेखित नहीं है इसी प्रकार उप नियम 6(2) के अनुसार आवंटित भूमि के पास आवंटी की खातेदारी भूमि होना आवश्यक है जो प्रकरण में दर्शित रिकार्ड नहीं पाई गई। नियम 7 (v) कुआ नियमन/आवंटन का मुख्य प्रयोजन सिंचाई के अतिरिक्त किया जाना नियम विरूद्ध होता है। जबकि प्रकरण में पानी का उपयोग ईंट भट्टों हेतु किया जाना अनुचित उप नियम 8 के तहत आवंटी को आवंटीत कुआ नियमन के पश्चात 15 दिवस में नियमानुसार लीज पत्र "प्रारूप 'क' " में निष्पादित कराया जाना आवश्यक है।

जिसके रिकार्ड का अभाव पाया गया इसके विपरीत देखने नामान्तरकरण संख्या 612 स्वीकृत दिनांक 05.06.2007 में मात्र आवंटन आदेश दिनांक 06.09.2006 के अनुसार 10 वर्ष लीज गैर खातेदारी कुआ दर्ज किया गया लीज–डीड संपादन का उल्लेख नहीं। उप नियम 9 के अनुसार कुआ आवंटन/नियमन हेतु उद्घोषणा अनिवार्य जो प्रकरण में दर्शित रिकार्ड नहीं उप नियम 4(I) के अनुसार धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 में वर्णित भूमियां आवंटन/नियमन योग्य नहीं किन्तु आराजी संख्या 668 किस्म चरागाह में विपक्षी को उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवंटन जबकि चरागाह भूमियों पर निर्मित कुओं का नियमन केवल जिला कलक्टर स्तर से नियम 12 (क) के तहत किया जा सकता है और जिला कलक्टर द्वारा विवादित आदेशों की निरस्त किया जा सकता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम नागदेडा पटवार हल्का बेडमा की राजकीय चरागाह भूमि आराजी संख्या 668 रकबा 2.03 है. में से विपक्षी के पक्ष में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कुआ आवंटन एवं नियमन नियम 1979 के तहत उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा जारी कुआ नियमन/आवंटन आदेश कमांक भू.आ./2006/27 दिनांक 06.09.2006 की प्रथक लीज अवधी दिनांक 05.09.2016 तक पूर्ण हो जाने उपरान्त उक्त कुए का सिंचाई के बजाय अन्य व्यवसायिक उपयोग–उपभोग की संपुष्टि हो जाने से आवंटन आदेश दिनांक 06.09.2006 को अपास्त करते हुए विपक्षी संख्या 1 की गैर खातेदारी बिना किसी प्रतिकर संदाय के साथ समाप्त की जाती है तथा प्रचलित आवंटन नियम 1979 के नियम 8 के अधीन संपादित होने वाली लीज डीड प्रपत्र (क) के बिन्दु संख्या 2 (iv) के अनुसार आवंटी को बिना किसी प्रतिकर के साथ एवं 2 (v) के अनुसार विवादित कुऐं का स्वतत्व सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग–उपभोग में लाए

जिला कलक्टर
(राज.)



Scanned with CamScanner

जाने हेतु उक्त कुए के अधिकार और दायित्वों के आगामी निर्धारण हेतु प्रस्ताव प्रमुख शासन सचिव महोदय राजस्व विभाग को अन्तिम निर्णय हेतु प्रेषित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2021 को सरे ईजलास सुनाया जाकर लिपिबद्ध किया गया।

(अनुपमा जोरवाल)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ़

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय राजस्व विभाग शासन सचिवालय जयपुर को नियम 8 प्रारूप (क) के बिन्दु संख्या 2 (IV) (V) की अनुसरण में अन्तिम निर्णय हेतु प्रेषित है।
2. उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ़/अरनोद निर्णित पत्रावली 27/2006 निर्णय दिनांक 06.09.2006 रिकार्ड हेतु
3. तहसीलदार अरनोद को गैर खातेदारी विलोपित पालना हेतु
3. श्री गणपत लाल पुत्र श्री गौतम चमार वगेराह निवासी नागदेडा, तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़
4. श्री योगेन्द्र सिंह पिता मोहन सिंह राजपुत निवासी नागदेडा तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़
5. श्री वरदीचन्द पुत्र श्री गंगाराम तेली निवासी नागदेडा तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner